

Compliance Report on Business Reform Action Plan 2016: Bihar

**Recommendation No.- 49- Make available a model sale deed format for property registration on the department's website
(Ref: <http://registration.bih.nic.in>)**

The screenshot shows the official website of the Bihar Registration Department. The top navigation bar includes links for Registration De., Registration, Excise, SCORE e-Payment, biharregd.gov.in, Google, Reliance Netconn..., and Useful Links. The main header features the text "निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध" and "REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT., GOVT. OF BIHAR". Below this, a banner displays "Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna - 800 001.", "Excise & Prohibition | Tenders | Useful Links ::", and "Designed and Developed by NIC Bihar State Centre, Govt. of India". A sidebar on the left lists various menu items: Site Index, Home, About Us, Registration Offices, Documents, Min. Value of Land, Acts, Rules, etc., Model Deed (which is circled in red), Phone Directory, Feedback, and Asset Declaration. A total visit count of 5 712 95 is shown. The main content area features a portrait of Abdul Jalil Mastan, Hon'ble Minister, and a section titled "Key Contacts" listing several officials with their contact details. On the right, there are sections for "Latest updates ...", "e-Filing Services for Registration", and "Useful Info" with links to Ease of Doing Business in India, List of PIOs, How to e-File Land Registration Documents, and Online Registration Process for Societies/Firms. At the bottom, there are links for "Info about BRTPS Act, 2011", "Societies Audit Reports", "Voluntary disclosures under RTI Act, 2005", and a phone number "(0612)-2233333" with the text "जिज्ञासा (सामान्य जानकारी हेतु हेल्प-लाइन)". The footer notes that the website was last updated on 1st March, 2016.

निर्धार, उत्पाद एवं मद्य निषेध

REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT., GOVT. OF BIHAR

Designed and Developed by
NIC Bihar State Centre, Govt. of India

Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna - 800 001.

| Excise & Prohibition | Tenders | Useful Links ::

Site Index

- ✓ Home
- ✓ About Us
- ✓ Registration Offices
- ✓ Documents ▾
- ✓ Min. Value of Land
- ✓ Acts, Rules, etc
- ✓ Notice Board
- ✓ Model Deed
- ✓ Phone Directory
- ✓ Feedback NEW
- ✓ Asset Declaration

Total Visits: 5 713 09

Model Deed Papers

Proforma for different papers to be prepared as part of deed documents is as follows:

1. वस्तुक-पत्र
2. दात-पत्र
3. निर्विवाद विक्रय-पत्र
4. सामान्य प्रतीनिधि
5. विशेष प्रतीनिधि
6. विनिमय-पत्र

Annexure needed for Registration of Documents:

1. Form of Declaration under Section 16 of the Bihar Land Reforms Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus
2. फार्म 4 - बिहार स्टाइल नियम 1994 के नियम 4 अप-नियम (1) के अधीन भूमि/सम्पत्ति एवं बाजार मूल्य संबंधी विवरण
3. फार्म 6 - नियंत्रित लिखित दस्तावेज भूमि के हस्तानान्तरण के संबंध में सूचना का प्रयोग
4. फार्म 13 - अप्रिलेख अनुरक्षण - बिहार भूमिधारी होल्डिंग अधिनियम, 1973 धारा 4 फेस के अंतर्गत अनुरक्षण की सूचना
5. शेड्यूल 12 फार्म 74
6. फार्म 60 - घोषणा प्रपत्र, जो ऐसे व्यक्ति दस्तावेज दाखिल किया जाएगा जिसके पास न तो स्थायी लेखा संख्या है और न ही सामान्य इंडेक्स पंजीकरण संख्या तथा जो नियम 114वाँ के (क) से (ज) खंडों में निर्दिष्ट सौदाएँ के बारे में नकद भुगतान करता है।
7. फार्म 61 - ऐसे व्यक्ति दस्तावेज जाने वाला घोषणा प्रपत्र जिसकी कृपि आमदानी हो और नियम 114वाँ के खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी भी सौदे के बारे में किसी आमदानी पर जो आयकर न देता है।



This section has been viewed by a total of 44584 visitors since 15th March'2011.

निर्विवाद बिक्रय-पत्र (Absolute Sale deed)

(1) बिक्रेता की विवरणी: -

लेख्यकारी (बिक्रेता) का नाम :- श्री/श्रीमती.....
पिता/पति का नाम :- श्री.....उम्र:-.....
पेशा:-.....स्थाई पता:- ग्राम/मुहल्ला:-.....
वार्ड नं0:-.....डाकधर:-.....थाना:-.....
जिला:-.....राज्यः:-.....राष्ट्रीयता:-.....
वर्तमान पता :-.....
पैन नं0-..... या प्रपत्र-60 (अगर पैन नंबर निर्गत नहीं किया गया हो)
(अगर सम्पति का मूल्य 5 लाख या उससे अधिक हो)

नोट :- अगर एक से अधिक बिक्रेता हो तो कॉलम एक को पुनः लिखे।

अगर पावर ऑफ एटर्नी द्वारा अधिकृत ऐजेन्ट द्वारा दस्तावेज का निष्पादन किया गया हो
तो नीचे अंकित कॉलम को भी भरें।)

(क) ऐजेन्ट का नाम-.....उम्र-.....

पिता/पति का नाम :- श्री.....पेशा:-.....
स्थाई पता:-ग्राम/मुहल्ला:-.....वार्ड नं0:-.....
डाकधर:-.....थाना:-.....जिला:-.....
राज्यः:-.....राष्ट्रीयता:-.....वर्तमान पता :-.....
.....

(ख) पावर ऑफ एटर्नी अगर निबंधित हो तो उसकी संख्या :- वर्ष-.....निबंधन कार्यालय: -.....

(2) क्रेता की विवरणी: -

लेख्यधारी (क्रेता) का नाम :- श्री/श्रीमती.....
पिता/पति का नाम :-.....उम्र:-.....
पेशा:-.....स्थाई पता:-ग्राम/मोहल्ला :-

वार्ड नं0:-.....डाकधर:-.....थाना :-.....
जिला:-.....राज्यः:-.....राष्ट्रीयता:-.....
वर्तमान पता :-.....
.....
पैन नं0-..... या प्रपत्र-60 (अगर पैन नंबर निर्गत नहीं किया गया हो)
(अगर सम्पति का मूल्य 5 लाख या उससे अधिक हो)

नोट :- अगर एक से अधिक क्रेता हो तो कॉलम दो को पुनः लिखे।

(3) लेख्य का प्रकार :- निर्विवाद बिक्रय-पत्र (Absolute Sale deed)

(नोट : - बिक्रेता प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे)

(4) बिक्रय मूल्यः:-(अंक).....

(अक्षर) रूपया ।

बाजार मूल्य जिसपर मुद्रांक चुकाया गया है(अंक)
.....(अक्षर)

नोट : - क्रम सं0-6 में सभी श्रेणी के भूमि/सम्पत्ति का कुल योग इस कंडिका में अंकित किया जायेगा ।

(5) सम्पत्ति का विवरणः:- रकबा (डिसमिल/एकड़/वर्गफीट की माप में).....

जमीन कृषि/आवासीय/व्यवसायिक जिसका पूरा विवरण निम्नलिखित है ।

गाँवः-.....मौजा:-.....थाना.....

अवर निबंधन कार्यालय.....जिला निबंधन कार्यालयः-.....

अंचलः-.....थाना नं0:-.....तौजी नं0:-.....

खाता:-.....खेसरा नं0:-.....वार्ड नं0:-.....होलिंग नं0:-.....

लगान :-.....

चौहद्दी :-

उत्तर :-

दक्षिण :-

पूरब :-

पश्चिम :-

माप :- (फीट/मीटर)

उत्तर :-

दक्षिण :-

पूरब :-

पश्चिम :-

नोट : - अगर एक से अधिक सम्पत्ति हो तो सम्पत्ति की विवरणी हरेक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग अंकित करें

(6) जमीन/सम्पत्ति का किस्मः-

(क) ग्रामीण क्षेत्र :- कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/अन्य..... ।

कृषि के मामले में:- सिंचित/असिंचित/एक फसला/दो फसला/चौर/बलुआही/
अन्य..... ।

भूमि का मूल्यः -.....

(ख) शहरी क्षेत्र :- आवासीय/आवासीय-सह-व्यवसायिक/व्यवसायिक/औद्योगिक
(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

भूमि का मूल्यः -.....

(ग) भवन की स्थिति में :-

- (i) निर्माण वर्ष:-.....
- (ii) किस सड़क पर अवस्थित है:-प्रधान सड़क/मुख्य सड़क/शाखा सड़क/ग्रामीण सड़क/अन्य.....
- (iii) संरचना का प्रकार%- Delux / R.C.C. / R.B.C. / एसवेरस, खपरैल/फुस इत्यादि.....।
संरचना का क्षेत्रफल:- (वर्गफीट में).....
भवन का मूल्य :-.....

(घ) भूमि पर पेड़ होने या उद्यान की स्थिति में :-

- (i) अन्तरित भूमि में वृक्षों की संख्या:-.....
- (ii) वृक्ष का उम्र:-.....
- (iii) वृक्ष का किस्म (फलदार/इमारती/अन्य) :-
.....
- (iv) वृक्षों का मूल्य:-.....

(7) सम्पत्ति का स्वामित्व:-

- (i) उत्तराधिकार से प्राप्त/बिक्रय-पत्र या अन्य दस्तावेज से प्राप्त (जो लागू न हो उसे काट दें)
- (ii) दस्तावेज से प्राप्त होने की स्थिति में दस्तावेज सं0-..... वर्ष-.....
निबंधन कार्यालय का नाम-.....

(8) अगर पूर्व में उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई **Agreement to Sale** (बिक्रय एकरारनामा) निर्बंधित हो तो दस्तावेज सं0-.....वर्ष-.....।

(9) बिक्रय-पत्र की विषय वस्तु:-

उक्त भूखण्ड/भवन का एकमात्र स्वामित्व बिक्रेता का है। बिक्रेता उक्त भूखण्ड/भवन को बिक्रय करना चाहता है। उक्त भूखण्ड/भवन को बिक्री करने का बिक्रेता को पूर्ण अधिकार है। बिक्रेता ने इससे पूर्व मकान/भूखण्ड को किसी अन्य को बिक्रय, दान, बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है तथा उल्लेखित सम्पत्ति पर बिक्रेता ही काबिज है। उक्त सम्पत्ति पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में उक्त सम्पत्ति विवादास्पद है। उक्त मकान/भूखण्ड स्वत्व की दृष्टि से हर तरह से पाक वो साफ है।

चूँकि बिक्रेता उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति को कुल रूपये (अंक में)
(अक्षर में).....रूपये में बिक्रय का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के साथ

..... क्रेता के समक्ष रखा, जिसे क्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया

गया है। अतः बिक्री मूल्य निम्नलिखित अनुसार पाकर बिक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त सम्पत्ति संपूर्ण स्वत्व एवं अधिकारों सहित बिक्री कर दिया।

भुगतान की विवरणी (नगद/चेक/ड्राफ्ट) -.....

.....

क्रेता बिक्रेता को निष्पादन के समय मो0.....रु0 दे चुके हैं। शेष.....रुपया रसीद बदलैन से पायेगे। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) इस प्रकार कुल रुपया वसूल पाकर लेख्यकारी ने क्रेता को खाना नं0- 5 की सम्पत्ति पर दखल कब्जा दे दिया। उक्त सम्पत्ति पर लेख्यकारी या उसके उत्तराधिकारी को किसी तरह का अधिकार या स्वामित्व नहीं रहा और न भविष्य में रहेगा।

इस प्रकार लेख्यकारी ने अपने तन मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी स्वेच्छा से बिक्री पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

अतएव उपरोक्त शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाव के तथा अपने पूर्ण होशो हवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं।

(1) गवाह नं0- 1 का हस्ताक्षर.....हस्ताक्षर बिक्रेता.....

नाम:-.....

पिता/पति का नाम :-.....

पता:-.....

.....

(2) गवाह नं0- 2 का हस्ताक्षर.....हस्ताक्षर क्रेता.....

नाम:-

पिता/पति का नाम :-.....

पता:-.....

.....

दस्तावेज तैयार करने हेतु निर्देश -

1. जहाँ तक सम्भव है काली स्याही का रोशनाई वाला कलम अथवा जेल रोशनाई वाला कलम ही प्रयोग करें।
2. यदि दस्तावेज भूमि के हस्तानान्तरण से सम्बंधित है तो मौजा का नाम, तौजी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या, राजस्व थाना संख्या, हल्का नम्बर चौहड़ी, क्षेत्रफल साफ एवं सही भरें। साथही साथ भूमि से संबंधित नजरी नक्शा ऐ4 साईज के कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न करें। दिहाती क्षेत्र की भूमि से 200 मीटर/ शहरी क्षेत्र में 50 मीटर के त्रिज्या के अंतर्गत पड़ने वाली विशेषताओं को नजरी नक्शा में दर्शाएँ।
3. यदि हस्तान्तरण का मूल्य पाँच लाख रुपया एवं उससे अधिक है तो अपना आयकर द्वारा प्रदत पैन कार्ड (Pan) संख्या का उल्लेख दस्तावेज में जरूर करें। यदि पैन संख्या उपलब्ध नहीं है तो आयकर की प्रपत्र संख्या 60 एवं 61 जो लागु है उसको भरकर संलग्न करें। पैन कार्ड की छाया प्रति भी दस्तावेज के साथ संलग्न करें।
4. अंतलेखन, खण्डन, कूटलेखन, से जहाँ तक सम्भव है बचें। यदि अंतलेखन खण्डन कूटलेखन करना ही पड़े तो उसके बगल में हाशिए में हस्ताक्षर करें एवं विलेख के अन्त में प्रमाण पत्र दें।
5. निष्पादन का अर्थ है हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर के नीचे तिथि अवश्य दें। परन्तु तिथि को खण्डन, अन्तरलेखन न करें।
6. यदि निष्पादक पढ़ा लिखा नहीं हो तो पढ़ा-लिखा व्यक्ति निष्पादक के बदलें में दस्तखत करें जो इस प्रकार होगा। " हस्ताक्षर श्री 'क' बाकलम श्री 'ख' निष्पादक ने इस बिक्रय पत्र पर मेरे समक्ष बॉए अंगूठे का छाया या निशान दिया और उन्हें विलेख को पढ़कर सुना समझा दिया गया"।
7. दस्तावेज के सभी पन्जे पर निष्पादक का हस्ताक्षर/छाप जो जरूरी हो अवश्य दें यह दस्तावेज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
8. भूमि हस्तानान्तरण सम्बंधी विलेख के साथ काश्तकारी अधिनियम के अधीन सूचना, भू-हदबंदी अधिनियम के अधीन घोषणा-पत्र एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(4) के अधिन प्रपत्र को संलग्न करना न भूलें।
9. मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क आदि के संबंध में जानकारी हेतु निबंधन पदाधिकारी से निःसंकोच संपर्क करें।
10. भूमि अथवा मकान के हस्तान्तरण में वास्तविक मूल्य को न छिपाये -
यह आपके हित में है। भविष्य में कभी भी समस्या खड़ी हो सकती है।
11. सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जैसे - अंचल, तौजी संख्या, खाता, खेसरा, क्षेत्रफल, चौहड़ी अंकित किया जाएगा। यदि सम्पत्ति फ्लैट, मकान है, तो फ्लैट संख्या, अपार्टमेन्ट का नाम दर्शाएँ।
12. सम्पत्ति कैस प्राप्त की गई है उल्लेख करें जैसे बिक्री पत्र से दान अथवा उत्तराधिकार से।
13. अन्य आवश्यक प्रपत्र जो कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये हैं, उसे संलग्न करें।